नवर)

ायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगबास जिला अलवर

अध्याशितः— श्री ओमप्रकाश सहारण आर0ए0एस

ा सं0	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
/ 18	22.5.2018	30.3.22

उनवान

रामप्रकाश पुत्र श्री सांवलराम जाति अहीर निवासी ग्राम गिन्दोखर तहसील जिला रेवाडी हरियाणा।

:—वादी

बनाम

राज0 सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार पैरोकार सरकार तहसीलदार किशनगढबास तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज0।

:—प्रतिवादी

दावा इश्तकाराहक धारा
88,89आर0टी0एक्ट 1955

ास्थितिः—1. श्री सूरजभान भण्डाना वकील वादी की ओर से।
2.प्रतिवादी की ओर से जवाब दावा

निर्णय

वे के सुक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से हैः—

वकील वादी ने वाद पेश कर निवेदन किया कि वादी के पिता श्री सांवलराम पुत्र श्री मचन्द जाति अहीर निवासी गिन्दोखर तहसील व जिला रेवाडी हरियाणा के निवासी थे। नका देहान्त 18.12.2008 में हो चुका है । वास्ते मुलाहिजा नकल मृत्यु प्रमाण—पत्र शामिल ।

श्री सांवलराम पुत्र श्री खेमचन्द जी द्वारा आराजी ख0नं0 200 रकबा 0.2500हे0 वाके ाम अलमदीका तहसील किशनगढबास क्रय की गई थी जिनके हकमें बयनामा कराते समय हबन में खेमचन्द के स्थान पर सून्डूराम दर्ज कर दिया गया जिस कारण जमाबंदी में लराम पुत्र सून्डूराम दर्ज हो गया है जो गलत है जबकि सही नाम सांवलराम पुत्र ामचन्द है । श्री सांवलराम अनपढ व्यक्ति थे ग्रामीण क्षेत्र के निवासी थे जिनको पिता के नाम गलत होने की जानकारी नही रही । अब उनकी मृत्यु के बाद जब वादी वीरासत का इन्तकाल कराने गया तो जमाबंदी की नकल लेने पर ज्ञान हुआ है इसलिये संशोधन हेतु कार्यवाही की किन्तु प्रतिवादी ने कहा कि अदालत से दावा करके ही सही किया जा सकता है इसलिये वादी को अपने हितो की रक्षार्थ वाद पेश करना लाजिम आया है ।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)

Scanned with OKEN Scanner